Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : निगरानी/टीए/1944/2005/चित्तौडगढ

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौडगढ

.....प्रार्थी

बनाम

गोटीलाल पुत्र माणकचंद – मृतक (जरिये कायममुकाम)
1/1. शान्तिलाल पुत्र गोटीलाल
–जाति मेहता निवासी डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ

.....अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री ओ0पी0भट्ट, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार।
श्री के0के0पुराहित, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः– 09–05–2018

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 17–6–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकारी अधिकारी द्वारा सीलिंग कार्यवाही संस्थित करते हुए उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के धारण में सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुए प्रकरण को समाप्त करने की संबंधी आज्ञा दिनांक 2–5–1976 पारित की। कालान्तर में प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान में आने के कारण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3–2–1982 द्वारा प्रकरण को रीओपन करते हुए जिला कलक्टर चित्तौडगढ को प्राधिकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। राज्य सरकार की उक्त

आदेश की पालना में जिला कलक्टर चित्तौडगढ ने प्रकरण का विचारण प्रारम्भ करते हुए आज्ञा दिनांक 29–5–1984 इस आशय का पारित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के धारण में 10–25 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण योग्य है। जिला कलक्टर चित्तौडगढ के उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी ने मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 10–8–1989 द्वारा खारिज कर दी। राजस्व मण्डल के द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एक रिट याचिका पेश की, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24–4–2001 को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा का आदेश दिनांक 2–5–1976 को यथावत रख दिया। कालान्तर में जिला कलक्टर चित्तौडगढ के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी पेश कर अंकित किया कि मूल आदेश विखण्डित हो गया है, इसलिए अधिग्रहण की गयी भूमि उसे वापस दिलवाई जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में जिला कलक्टर चित्तौडगढ ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 17–11–2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष एक अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 17–6–2004 द्वारा स्वीकार कर ली। उक्त निर्णय से व्यथित होकर राज्य सरकार ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होना बताया है। उनका कथन है कि मामले में जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–1984 की पालना में अप्रार्थी की 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि अधिग्रहण कर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिए जाने के उपरान्त उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई है। इस कारण आवंटी मौके पर काबिज है। आगें बताया कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि मूल आदेश विखण्डित हो चुका है, इसलिए अधिग्रहित भूमि पुनः विपक्षी प्राप्त

करने का अधिकारी नहीं है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत भूमि पर आवंटियों का कब्जा है तथा जब तक आवंटियों को किया गया आवंटन निरस्त नहीं हो जाता है तब तक अप्रार्थी जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी के तहत भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में आक्षेपित आदेश नितान्त त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–6–2004 को निरस्त कर जिला कलक्टर चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–11–2003 को बहाल किए जाने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी का घोर विरोध करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधिसम्मत बताया है। उनका कथन है कि मामले में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–8–1989 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24–4–2001 से निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–5–1976 को यथावत रखे जाने के फलस्वरूप प्रार्थी की अधिग्रहित भूमि बाबत मूल आदेश विखण्डित होने के कारण आदेश दिनांक 29–5–1984 से पूर्व की स्थिति को बहाल कर अप्रार्थी पुनः विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश मे आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 2013 आरआरटी पेज 305 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

6. हमने विद्वान उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. हस्तगत मामला व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 से संबंधित है, जिसका सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः–

"(1) जहां कि और जहां तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जाए या उसे उलटा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपान्तरित किया जाए वहां और वहां

तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था, उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार, जहां तक हो सके, उस स्थिति में हो जाएंगे जिसमें वे होते, यदि वह डिक्री या आदेश या उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उलटा गया है या अपास्त किया गया है या उपान्तरित किया गया है, न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अन्तर्गत खर्चो के प्रतिदाय के लिए और ब्याज, नुकसानी, प्रतिकर और अन्तःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होंगे, कर सकेगा जो उस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने, उलटने अपास्त करने का उपान्तरण के उचित रूप से परिणामिक है''।

8. प्रश्नगत प्रकरण में समग्र स्थिति इस प्रकार है कि प्राधिकारी अधिकारी द्वारा सीलिंग कार्यवाही संस्थित करते हुए उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के धारण में सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुए प्रकरण को समाप्त करने की संबंधी आज्ञा दिनांक 02-05-1976 पारित की। कालान्तर में प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान में आने के कारण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03-02-1982 द्वारा प्रकरण को रीओपन करते हुए जिला कलक्टर चित्तौडगढ को प्राधिकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। राज्य सरकार की उक्त आदेश की पालना में जिला कलक्टर चित्तौडगढ ने प्रकरण का विचारण प्रारम्भ करते हुए आज्ञा दिनांक 29-5-1984 इस आशय के साथ पारित की कि अप्रार्थी संख्या 1 के धारण में 10-25 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण योग्य है। जिला कलक्टर चित्तौडगढ के उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी ने राजस्व मण्डल के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसे मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 10-8-1989 द्वारा खारिज कर दी। राजस्व मण्डल के द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एक रिट याचिका पेश की, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24-4-2001 से स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा का आदेश दिनांक 2-5-1976 को यथावत रख दिया। उक्त आदेश पारित हो जाने के पश्चात जिला कलक्टर चित्तौडगढ के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी पेश कर अंकित किया कि मूल आदेश विखण्डित हो गया है, इसलिए अधिग्रहण की गयी भूमि उसे वापस दिलवाई जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में जिला कलक्टर चित्तौडगढ ने उभयपक्ष की

बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 17–11–2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष एक अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 17–6–2004 द्वारा स्वीकार कर ली।

9. उपलब्ध रेकार्ड मौका रिपोर्ट दिनांक 22–8–2003 में अंकन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का वर्ष 1991 में अन्य व्यक्तियों के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा आवंटन किया गया है। इस कारण विवादित आराजी पर अन्य खातेदारान का कब्जाकाश्त है तथा कुछ भूमि पडत पडी हुई है। यद्यपि उक्त रिपोर्ट को अन्यथा सिद्ध करने का समुचित आधार हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। हमने अप्रार्थी द्वारा दिनांक 09–8–2002 को जिला कलक्टर चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का अवलोकन किया है। अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 24–4–2001 की पालना में वर्णित आराजियात का कब्जा प्रार्थी को दिलाया जाकर विवादित भूमि को रेकार्ड में प्रार्थी के नाम अंकन किया जाए। वर्तमान परिस्थिति में आलोच्य भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जाकाश्त है। 2013 आरआरटी (1) पेज 305 बउनवानी गोपाल बनाम श्रीमती दाखा बाई व अन्य के मामले में राजस्व मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने निम्नानुसार व्यवस्था दी हैः–

''सिविल प्रक्रिया संहिता 1908–धारा 144– भूमि की पुनः स्थापना–उच्च न्यायालय ने अप्रार्थीगण की याचिका स्वीकार की और सीलिंग कार्यवाही समाप्त की–एसडीओ ने प्रार्थीगण को उन्हें आवंटित भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण को सौंपने का निर्देश दिया– राज्य ने वर्ष 1976 में विवादित भूमि आवंटित की और प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किए–प्रार्थीगण आवंटी अजनबी नीलाम क्रेता की श्रेणी में है–आवंटित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज की– अप्रार्थीगण ने वर्ष 1976 में भूमि आवंटन होने का तथ्य छिपाया– प्रार्थीगण की एकपक्षीय संक्षिप्त बेदखल अवैध है तथा आदेश अपास्त होने योग्य है– अप्रार्थीगण को क्षतिपूरित करने हेतु राज्य सरकार दायित्वाधीन है–आर्थिक मुआवजा अथवा वैकल्पिक भूमि आवंटन हेतु दावे की जांच करने हेतु प्रकरण एसडीओ को प्रतिप्रेषित किया''।

10. उक्त विधिक विनिश्चय की रोशनी में हम हस्तगत मामले में राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–6–2004 के विरूद्ध राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी में किसी प्रकार का विधिक उपचार उपलब्ध

होना नहीं पाते है। मौका रिपोर्ट के अनुसार यदि अप्रार्थी की अधिग्रहित भूमि का आवंटन होकर वर्तमान में अन्य व्यक्ति काबिज है तो उनका आवंटन निरस्त किया जाकर उन्हें कब्जे से बेदखल कर कब्जा अप्रार्थी को सुपुर्द करें या आवंटी को आर्थिक मुआवजा अथवा वैकल्पिक भूमि आवंटन करें।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–6–2004 को यथावत रखा जाता है। इसके साथ ही न्यायहित में उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वे अप्रार्थी को अधिग्रहण से मुक्त भूमि के बदले आर्थिक मुआवजे स्वरूप राशि का निर्धारण करें अथवा वैकल्पिक भूमि आवंटन की कार्यवाही तीन माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

12. पत्रावली उपरोक्तानुसार निर्णित की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर क्रम से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य